


04.09.23

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित।
वकील शर्मा को बार-बार डाकसर देने के उपरान्त
भी वकील शर्मा द्वारा मजार्चीगण की तलबी नहीं
करवाई गई है। कृता वकील शर्मा द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र तलबी के अभाव में इसी स्तर पर
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरती
तुरती होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
RAS